



पत्र सं.

1409

प्रशा0-एक-96/

दिनांक

3.6.2016

### कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अध्याय-पंचम के नियम-19 के अन्तर्गत, आगरा जोन के अन्तर्गत आने वाले सम्पत्ति प्रबंध कार्यालयों हेतु, अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त, आगरा जोन(यथास्थिति) अपीलीय अधिकारी नामित हैं।

2. परिषद कार्यहित में, अग्रिम आदेशों तक, अपर आवास आयुक्त/संयुक्त आवास आयुक्त, आगरा जोन के स्थान पर अधीक्षण अभियन्ता, षष्ठम् वृत्त, आगरा को आगरा जोन के अन्तर्गत आने वाले सम्पत्ति प्रबंध कार्यालयों हेतु, अपीलीय अधिकारी नामित किया जाता है।

3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

3/6

(रुद्र प्रताप सिंह)

सचिव एवं आवास आयुक्त

ack

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन प्रशासनिक सुधार विभाग लखनऊ।
3. सचिव, माननीय राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. समस्त जन सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी।
5. मुख्य अभियन्ता/वित्त नियंत्रक/मुख्य वास्तुविद नियोजक/मुख्य विधि परामर्शी।
6. मुख्यालय के समस्त अनुभागाध्यक्ष।
7. सम्बन्धित कार्यालयों के इन्चार्ज अधिकारीगण।
8. श्री राजेश मेहतानी, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर मुख्यालय।
9. मा0 अध्यक्ष (म0)/आवास आयुक्त/अपर आवास आयुक्त एवं सचिव/अपर आवास आयुक्त/अपर निबन्धक के निजी सचिव।
10. इन्चार्ज कम्प्यूटर सेल, मुख्यालय।
11. कार्यालय आदेश पुस्तिका।

3/6

सचिव एवं आवास आयुक्त

ack